

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 12/07/2019

वर्ग : I सदन में उत्तर देने का दिनांक : 22/07/2019

विभाग का नाम : किसान कल्याण तथा कृषि विकास

विषय : भावांतर की राशि का भुगतान करने के संबंध में।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2086) श्रीरामलाल मालवीय

क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2018-19 में प्रदेश में सोयाबीन की फसल का भावांतर का लाभ कितने किसानों को दिया गया है ? भावांतर की राशि का भुगतान कितने कृषकों को कितना-कितना किया गया है ? यदि भुगतान नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है ? (ख) भावांतर की राशि के भुगतान में किस स्तर पर विलंब हो रहा है और क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ? दोषियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

उत्तर :

मिजवाने


✓ MOPRO राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कार्यालयीन टीप :-

क./भा.मु.यो/वि.स/2086/तारा/2019/4/101

भोपाल, दिनांक 11 जून, 2019

1. कलेक्टर, जिला - (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2086 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही मिजवाने का कष्ट करें।
2. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला- (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2086 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही मिजवाने का कष्ट करें।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त)। की ओर। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2086 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही मिजवाने का कष्ट करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव/नोडल मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2086 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित संभागीय कार्यालय को मिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उत्तर की प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय को न भेजी जावें।


उप संचालक (भा.मु.यो.)
MOPRO राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल